

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1570]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937

No. 1570]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

**शहरी विकास मंत्रालय**

**(दिल्ली प्रभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

**का.आ. 2047(अ).**—यतः दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2160(अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं किया गया है; और यह प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया था।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

पीवीसी बाजार परियोजना, टीकरी कलां, रोहतक रोड, जोन-एल में 17540 वर्ग मीटर माप क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.सु.यो)- 2021)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
पीवीसी बाजार, परियोजना, टीकरी कलां, रोहतक रोड, जोन-एल	17540 (वर्ग मी. लगभग ) (4 एकड़)	विनिर्माणी सेवा एवं मरम्मत उद्योग (एम-1)	उपयोगिता (यू-4) (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा)	<b>उत्तर:</b> 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क <b>दक्षिण:</b> 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क/हरित पट्टी <b>पूर्व:</b> 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क/पॉकेट-टी <b>पश्चिम:</b> 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क/पॉकेट-एस

[फा. सं. के.-13011/29/2014-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2015

**S.O. 2047(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2160(E) dated 26/08/2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received in this regard to the proposed modification and proposal was also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The land use of the area measuring 17540 sq.mt. in PVC Bazar Project, Tikri Kalan, Rohtak Road, Zone-L is changed as per description listed below:

S. No	Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
1.	PVC Bazar Project, Tikri Kalan, Rohtak Road, Zone-L	17540 (sq.mt.) approx. (4acres)	Manufacturing, Service & Repair Industries (M-1)	Utility (U-4) (Solid Waste Management Facility)	<b>North:</b> 24 Mt. R/W Road <b>South:</b> 24 Mtr. R/W Road/Green Belt <b>East:</b> 24 Mt. R/W Road Pocket-T <b>West:</b> 24 Mtr. R/W Road/Pocket-S

[F. No. K-13011/29/2014-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.